प्राक्कथन

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विधानमंडल (तत्कालीन) में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार अप्रैल 2018 में राज्यपाल को भेजा गया था। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (जून 1994) के निर्णयानुसार, जहां कहीं एक वर्ष से अधिक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो, वहां राज्य से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है।

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन होने पर यह प्रतिवेदन परवर्ती संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उपराज्यपालों को भेजा जा रहा है।

इस प्रतिवेदन में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार की गई सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के अन्तर्गत तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के विभागों/ स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों में वे मामले शामिल हैं जो वर्ष 2016-17 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वे मामले भी, जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2016-17 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हो, शामिल किये गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियमों और लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।